श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : "हिन्दुस्तान टाइम्स" में जो तस्वीर छपी थी वह श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर की तस्वीर थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से अर्ज करूं कि श्री फरनेंडीज ने मेरी तस्वीर दिखाई । वह तस्वीर कहीं मद्रास की तरफ छपी है । वहां क्या पता है कि कौन है गुरदयाल सिंह ढिल्लों और कौन नहीं । उन्होंने किसी गुरदयाल सिंह ढिल्लो, रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, की तस्वीर छाप दी । श्री प्रेमचन्द वर्मा कहते है कि यह कौन गुरबख्श सिंह ढिल्लो है । उस ने कहा कि मेरा नाम अखबार में छपा है, मैं स्पीकर हो गया । सब से ज्यादा फिक्र तो मेरी बीबी को होनी चाहिये कि यह बूढ़ा आदमी कहां से आ गया । जब उस को फिक्र होगी तब मैं देखूंगा कि गुरदयाल सिंह ढिल्लो कौन है ।

श्री प्रेमचन्द वर्मा : यह अकेले आपके नाम का मामला नहीं है । यह लोक सभा का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला तो मेरा है आप अब बैठ जाइये ।

श्री प्रेमचन्द वर्मा : यह लोक सभा का मामला है । इसमें लिखा है लोक सभा एक पार्टी है । अगर प्रेस में इस तरह से काम चला तो ठीक नहीं होगा । प्रेस की जिम्मेदारी है, नहीं तो लोक सभा का जो नाम है वह नहीं रह सकता । आप मुझ को एक मिनट का टाइम दीजिये । मैं सिर्फ एक मेंटेंस पढ़ना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत हो गया । इस को खत्म कीजिये । माननीय सदस्य को उस से भी ज्यादा फिक्र है जिस को होना चाहिये ।

12.45 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report of Tariff Commission on Catguts and Annual Report of Development Council for Automobiles etc.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : I beg to lay on the Table :

(1) A copy each of the following papers under sub-section (2) of section 16 of the Tariff Commission Act, 1951 :-

(i) (a) Report (1968) of the Tariff Commission on the price structure of Catguts.

(b) Government Resolution No. LEI (A)—16(2)/68 dated the 16th July, 1969 on the above Report.

(ii) A statement showing reasons why the documents mentioned at (i) above could not be laid on the Table within the period prescribed in sub-section (2) of section 16 of the said Act. [*Placed in Library. See* No. LT—1630/69].

(2) A copy of the Annual Report of the Development Council for Automobiles, automobiles Ancillary Industries, Transport Vehicle Industries, Tractors, Earth-Moving Equipment and Internal Combustion Engines, for the year 1968-69, under sub-section (4) of section 7 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. [*Placed in Library. See* No. LT—1631/69].

Judgment in the case of Shri Tej Kiran and others *vs* Shri N. Sanjiva Reddy and others

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : I beg to lay on the Table a copy of the judgment delivered by the full Bench of the High Court of Delhi at New Delhi on the 4th August, 1969, in the case of Shri Tej Kiran Jain and others versus Shri N. Sanjiva Reddy and others (I. A. 1194 of 1969-O. S. No. 228 of 1969). [*Placed in Library. See* No. LT—1632/69].

Heavy Engineering Corporation—Government Review and Annual Report

THE MINISTER OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI C. M. POONACHA) : I beg to lay on the Table a copy each of the following papers under

[Shri C. M. Poonacha]

sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :

(1) Review by the Government on the working of the Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi, for the year 1967-68.

(2) Annual Report of the Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi, for the year 1967-68 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See* No. LT—1633/69].

SHRI D. N. PATODIA (Jalore) : Let us have a discussion on this item.

MR. SPEAKER ; No, no.

Report of Enquiry Committee on Film Censorship—Summary of Conclusion (Hindi)

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNEL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BHANU PRAKASH SINGH) : On behalf of Shri Satya Narayan Sinha, I beg to lay on the Table a copy of the Summary of Conclusions contained in the Report of Enquiry Committee on Film Censorship (Hindi version). [*Placed in Library. See* No. LT—1634/69].

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, अभी श्री सत्य नारायण सिंह के नाम से जो पेपर टेबल पर रक्खा गया है, उस पर मैं कोई आपत्ति नहीं करता। मंत्री या उनके कोई सहयोगी आप की आज्ञा से कोई पेपर रख सकते हैं लेकिन जो बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह कि फिल्म सेंसर बोर्ड की जो रिपोर्ट है उस का क्या अभिप्राय है, वह अंग्रेजी में तो ज्यों का त्यों आई है। लेकिन जो हिन्दी अनुवाद है वह केवल संक्षिप्त संस्करण आया है। हिन्दी के राज भाषा स्वीकार हो जाने के बाद हिन्दी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार चल रहा है। आप सरकार को निर्देश दें कि जब गृह मंत्रालय इस प्रकार के निर्देश दे चुका है कि दोनों भाषाओं में रिपोर्टें आनी चाहियें, तब वैसा किया जाना चाहिये। गजेन्द्रगडकर कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ कि केवल अंग्रेजी में रिपोर्ट आई। जब गृह मन्त्रालय का निर्देश है रिपोर्टें हिन्दी में भी आयें तो उन को आना चाहिये।

श्री भोलू प्रसाद (बांसगांव) : बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी की रिपोर्ट भी अंग्रेजी में ही आई है।

Notification under Essential Committees Act.

SHRI BHANU PRAKASH SINGH : On behalf of Shri Raghunatha Reddy, I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S. O. 3011 (English version) and S. O. 3012 (Hindi version) published in Gazette of India dated the 26th July, 1969, under section 12A of the Essential Commodities Act, 1955. [*Placed in Library. See* No. LT—1635/69].

ESTIMATES COMMITTEE

Minutes

SHRI THIRUMALA RAO (Kakinada) : I beg to lay on the Table the Minutes of the sittings of the Estimates Committee relating to :—

(1) Eighty-seventh Report on the Ministry of Foreign Trade and Supply-Import of Wool, Nylon, Woollen Yarn and other Woollen Products for the Woollen Textile Industry and its allocation to the various units since October, 1962.

(2) Eighty-eighth Report on the Publications of Selected Ministries of the Government of India.

(3) Ninetieth Report on the Ministry of Tourism and Civil Aviation—Department of Tourism.

(4) General Matters pertaining to Estimates Committee (1968-69).